यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, श्री अंशुमन अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आशीष पाण्डे, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 11.08.2020 से 24.08.2020 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 15.07.2019 **से** 23.07.2019 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 07/2018 से 03/2019 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

वन प्रभाग के अन्तर्गत वनों का संरक्षण, संवर्द्धन कार्य, वन उपजों से रायल्टी आदि प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा किया जाना तथा समस्त प्रकार के वानिकी एवं वन्य जीव से सम्बन्धित कार्य किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जनपद में स्थित ऋषिकेश, थानों, मल्हान, झाझरा, आसारोडी, लच्छीवाला एवं बडकोट **वन क्षेत्र** हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	राजस्व लक्ष्य	राजस्व प्राप्ति
2017–18	4524.45	2649.13
2018–19	3638.17	2528.43
2019–20	4130.15	1594.31

(ब) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2017–18	–	–	1918.08	1913.01	396.17	393.49	–	5.07	–	2.68
2018–19	–	–	1932.27	1931.32	414.38	414.38	–	0.95	–	–
2019–20	–	–	455.05	453.79	566.83	541.83	–	1.26	–	25.00

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
2017–18	इंटोसिफिकेशन ऑफ फारेस्ट	–	5.30	5.30	–	–
	हाथी परियोजना	–	2.90	2.90	–	–
2018–19	इंटोसिफिकेशन ऑफ फारेस्ट	–	25.90	25.90	–	–
	हाथी परियोजना	–	9.65	9.65	–	–
2019–20	इंटोसिफिकेशन ऑफ फारेस्ट	–	7.18	7.18	–	–
	हाथी परियोजना	–	8.45	8.45	–	–

(iii) इकाई को बजट आबंटन नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड कैम्पा परियोजना एवं नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त होता है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:

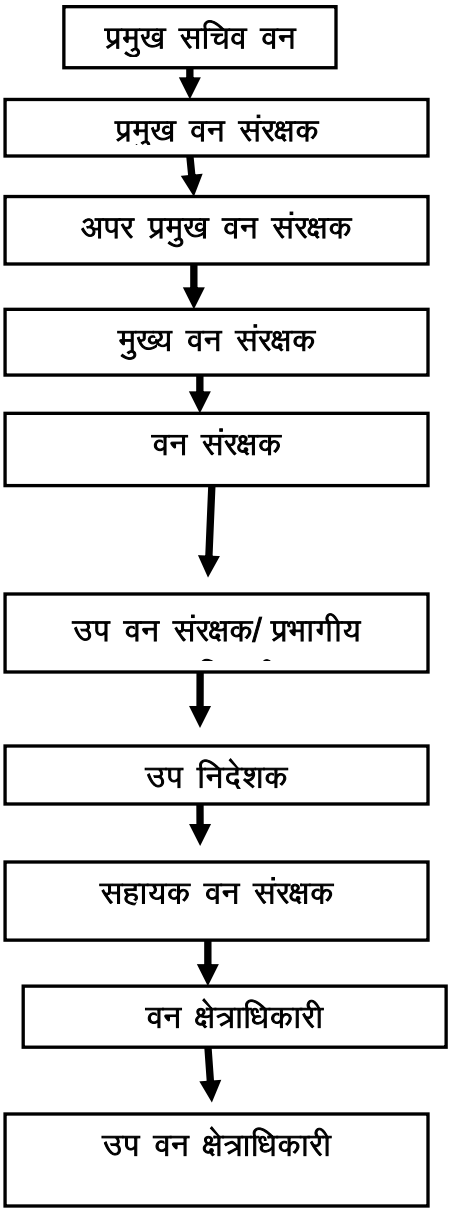

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जॉच हेतु माह का चयनः** लेखापरीक्षा में माह के प्रतिचयन हेतु अधिकतम व्यय एवं प्राप्ति के आधार पर व्यय हेतु माह मार्च 2020 एवं राजस्व हेतु माह अक्टूबर 2019 को विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयनः लेखापरीक्षा में 14 योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन उक्त योजनाओ के अन्तर्गत अधिकतम स्वीकृति एवं व्यय के आधार पर किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)
शून्य

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर–1 वन भूमि का गैर–वानिकी उपयोग हेतु लीज की शर्तों के अनुरुप रु0 5.76 करोड की राशि जमा न कराया जाना।

प्रस्तर–2 कार्ययोजना के अभाव में लक्षित राजस्व में रु0 7.01 करोड की कमी।

प्रस्तर–3 खनन से प्राप्त लाभांश रु0 77.28 लाख का अंश प्राप्त न किया जाना।

व्यय की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

प्रस्तर–1 कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के भुगतान में कार्मिक के अंश का भुगतान किए जाने पर एजेन्सी को रु0 26.02 लाख का अधिक भुगतान/अदेय लाभ।

गम्भीर अनियमितताएं
व्यय की लेखा-परीक्षा
भाग-II (ब)

प्रस्तर–4 रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता में कमी के कारण रु0 8.06 लाख का निष्फल व्यय।

प्रस्तर–5 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत रु0 33.00 लाख का अनियमित व्यय।

प्रस्तर–6 निर्माण कार्यों पर रु0 3.21 करोड का अनियमित व्यय।

प्रस्तर- 7 : की उदासीनता के कारण NPS की धनराशि ₹ 15.92 लाख के नियोक्ता अंशदान से वंचित रहना ।

राजस्व से सम्बन्धित

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 वन भूमि का गैर–वानिकी उपयोग हेतु लीज की शर्तों के अनुरुप रु0 5.76 करोड की राशि जमा न कराया जाना।

शासनादेश संख्या 533/X-4-18/1(88)/2018 दिनांक 09.10.2019 एवं संख्या 743(1)/X-4-19/2(29)/2019 दिनांक 30.10.2019 द्वारा जनपद देहरादून के अंतर्गत सुधोवाला-दूंगा मार्ग किमी. 0.00 से 9.72 तथा डोंगा-नन्दा-की-देवी-चौकी मार्ग किमी. 10.72 से 22.00 कुल 0.2118 है. मार्ग के पहाड़ी किनारे रिलायंस 4 जी ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु रिलायंस जियो इन्फोकॉम एवं (थानो-ऋषिकेश-बड़कोट) रेंज के अंतर्गत एन0एच0 07 मार्ग (रायपुर -रानी पोखरी चौक) 20.9 किमी,रानीपोखरी-नटराज चौक 3.8 किमी, रानीपोखरी चौक-जंगलात चौकी 9.2 किमी कुल लंबाई 33.9 किमी0 मोटर मार्ग के किनारे फाइबर केबिल लाइन बिछाने हेतु 0.205 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलायंस जियो इन्फो काम लि को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत/स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 188(1)/X-4-19/2(05)/2019 दिनांक 30.10.2019 के द्वारा जनपद देहरादून के अंतर्गत भानियावाला तिराहा से नेपाली फार्म तिराहा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72 के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.156 हे0 वन भूमि संचार परियोजना (बी0एस0एन0एल0) को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत/ स्वीकृति प्रदान की गयी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून की भूमि हस्तांतरण के प्रकरणो की नमूना जांच मे पाया गया कि उपरोक्त तीनों स्वीकृति मे भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि को लीज पर देने की स्वीकृत दी गयी थी, जिसमें तीनों स्वीकृति मे एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट निश्चित करवाकर वन विभाग को भुगतान किया जाना था। शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद प्रभाग द्वारा संबन्धित कंपनियों से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम), 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट, स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की धनराशि र 5.76 करोड़ की वसूली नहीं की गयी। वन भूमि मूल्य (प्रीमियम), 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट, स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की गणना निम्नानुसार है:-

कंपनी का नाम	**विवरण**	**क्षेत्रफल हे0 मे**	**क्षेत्रफल वर्ग मी. मे**	**घनत्व**	**इको क्लास**	**दर वर्ग मी. मे**	**देय धनराशि**
रिलायंस जियो इन्फोकॉम	वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)	0.2118	2118	0.2	V	6500	**1,37,67,000 (**6500x2118)
	प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट						**13,76,700**
	लीज का पंजीयन नहीं करने से स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की धनराशि						स्टांप ड्यूटी- **1,65,204** (13,76,700 x 6 गुना का 2%) पंजीयन शुल्क - **25,000**
योग:-							**1,53,33,904**
रिलायंस जियो इन्फो काम लि.	वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)	0.2050	2050			9000	**1,84,50,000** (9000x2050)
	प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट						**18,45,000**
	लीज का पंजीयन नहीं करने से स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की धनराशि						स्टांप ड्यूटी-**2,21,400** (18,45,000 x 6 गुना का 2%) पंजीयन शुल्क - **25,000**
योग:-							**2,05,41,400**
बी0एस0 एन0एल0	वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)	0.1560	1560			12500	**1,95,00,000** (12500x1560)
	प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट						**19,50,000**
	लीज का पंजीयन नहीं करने से स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की धनराशि						स्टांप ड्यूटी-**2,34,000** (19,50,000 x 6 गुना का 2%) पंजीयन शुल्क - **25,000**
योग:-							**2,17,09,000**
महायोग:-							**5,75,84,304**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि लीज धनराशि जमा करने हेतु सम्बन्धित कम्पनियों को पत्र दिनांक 19.08.2020 द्वारा निर्देशित किया गया है।

अतः वन भूमि का गैर–वानिकी उपयोग हेतु लीज की शर्तों के अनुरुप रु0 5.76 करोड की राशि जमा न करवाये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से सम्बन्धित

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1 कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के भुगतान में कार्मिक के अंश का भुगतान किए जाने पर एजेन्सी को रु0 26.02 लाख का अधिक भुगतान/अदेय लाभ।

देहरादून वन प्रभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रेणी के मानव संसाधनों हेतु राजाजी टाईगर रिजर्व द्वारा अनुबन्धित फर्म मै0 उज्जवल कॉन्ट्रेक्ट को–ऑपरेटिव सोसाईटी लि0, देहरादून के साथ दिनॉक 01.04.2018 से 28.02.2019 के लिए 0.01 प्रतिशत सेवा शुल्क के रुप में दिनॉक 22 मई 2018 को अनुबन्ध गठित किया गया, जिसे बाद में दिनॉक 01.03.2019 से 31.05.2019 की अवधि हेतु विस्तार किया गया (28.02.2019)। अनुबन्ध के अनुसार (i) सेवा प्रदाता एजेंसी कार्यालय/मुख्यालय/अधीनस्थ उप वन प्रभागों/ रेंजों में मानव शक्ति सेवाएं प्रदान करेगी, (ii) प्रभाग को यह अधिकार होगा कि वह सेवा प्रदाता के अभिलेखों से यह जॉच करेगा कि ई0पी0एफ0, सेवा कर, ई0एस0आई0/चिकित्सा बीमा के भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है, एवं (iii) सेवा प्रदाता को बीजक प्रस्तुत करने से पूर्व श्रमिक हित में ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 जमा किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। नियोजक प्रमाण प्राप्त होने पर ही बीजक भुगतान हेतु सत्यापित कर प्रेषित करेगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव संसाधन आपूर्ति से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा दिनॉक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर सेवा प्रदाता फर्म को कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) एवं कर्मचारी राज्य बीमा (ई0एस0आई0) का भुगतान करते समय कार्मिक के अंश का भी भुगतान किया गया, जबकि ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 में नियोक्ता एवं कार्मिक के अंश हेतु अलग–अलग प्रतिशत्ता का निर्धारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिनॉक 31.05.2018 से पूर्व ई0पी0एफ0 हेतु नियोक्ता एवं कार्मिक का अंश क्रमशः 13.15% एवं 12%, दिनॉक 01.06.2018 से 13% एवं 12% तथा ई0एस0आई0 हेतु दिनॉक 30.06.2019 से पूर्व नियोक्ता एवं कार्मिक का अंश क्रमशः 4.75% एवं 1. 75% तथा दिनॉक 01.07.2019 से 3.25% एवं 0.75% निर्धारित किया गया था। इसप्रकार, प्रभाग द्वारा अधिसूचना में ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की निर्धारित प्रतिशत्ता अंश के विपरीत दिनॉक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक प्रतिमाह कार्मिक के ई0पी0एफ0 अंश 12 प्रतिशत एवं ई0एस0आई0 1.75 प्रतिशत का भी भुगतान एजेन्सी को किया गया। जिसका परिणाम हुआ कि एजेन्सी को अनुबन्धित सेवा शुल्क 0.01 प्रतिशत के अतिरिक्त 13.75 प्रतिशत अर्थात रु0 26.02 लाख का अदेय लाभ पहुॅचाया गया। माहवार अधिक भुगतान का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

माह	सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा दावा राशि	प्रभाग द्वारा भुगतानित राशि (कार्मिक के अंश सहित)	भुगतानित राशि में कार्मिक के ई0पी0एफ0 के अंश की राशि (12%)	भुगतानित राशि में कार्मिक के ई0एस0आई0 के अंश की राशि (1.75%)	वास्तविक रुप से भुगतान की जाने वाली राशि (3-4-5)	अधिक भुगतान की राशि (3-6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
04 / 2018	1562195.00	1562195.00	187463.00	27338.00	1347394.00	214801.00
05 / 2018	1560179.00	1560179.00	187221.00	27303.00	1345655.00	214524.00
06 / 2018	1593466.00	1593466.00	191216.00	27886.00	1374364.00	219102.00
07 / 2018	1509455.00	1509455.00	181135.00	26415.00	1301905.00	207550.00
08 / 2018	1507369.00	1507369.00	180884.00	26379.00	1300106.00	207263.00
09 / 2018	1509902.00	1509902.00	181188.00	26423.00	1302291.00	207611.00
10 / 2018	1557483.00	1557483.00	186898.00	27256.00	1343329.00	214154.00
11 / 2018	1617953.00	1617953.00	194154.00	28314.00	1395485.00	222468.00
12 / 2018	1608878.00	1608878.00	193065.00	28155.00	1387658.00	221220.00
01 / 2019	1633525.00	1633525.00	196023.00	28587.00	1408915.00	224610.00
02 / 2019	1629106.00	1629106.00	195493.00	28509.00	1405104.00	224002.00
03 / 2019	1632047.00	1632047.00	195846.00	28561.00	1407640.00	224407.00
योग :–						**2601712.00**

आगे, जॉच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा अनुबन्ध में ई0पी0एफ0 / ई0एस0आई0 के भुगतान तथा प्रतिशतता के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था जिससे वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के प्रतिशतता भुगतान की गणना में भिन्नता थी। उदाहरणार्थ वर्ष 2018–19 में ई0पी0एफ0 / ई0एस0आई0 में गणना मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता, बोनस एवं सेवा शुल्क के योग पर किया गया, जबकि वर्ष 2019–20 में यह गणना मूल मजदूरी की राशि पर की गई। इसके अतिरिक्त, न तो प्रत्येक माह अभिलेखों की जॉच की गई एवं न ही सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा नियमित ई0पी0एफ0 / ई0एस0आई0 जमा किए जाने का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा में मार्च 2020 के ई0पी0एफ0 जमा के अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें पाया कि सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा हालांकि अपने पत्रांक दिनॉक 21.07.2020 में सूची के अनुसार समस्त कार्मिकों की ई0पी0एफ0 को जमा किया जाना सूचित किया गया था, परन्तु इसका मिलान करने पर पाया कि 11 कार्मिकों का रु0 22913.00 ई0पी0एफ0 की धनराशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जमा ही नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	ई0पी0एफ0		योग
		नियोजक का अंश	कार्मिक का अंश	
1.	सोहन लाल	1083.00	1000.00	2083.00
2.	सुलेख	1083.00	1000.00	2083.00
3.	सुरेश	1083.00	1000.00	2083.00
4.	तीरथ लाल	1083.00	1000.00	2083.00
5.	कुलदीप बहादुर	1083.00	1000.00	2083.00
6.	शिवम खत्री	1083.00	1000.00	2083.00
7.	रमेश दत्त	1083.00	1000.00	2083.00
8.	जितेन्द्र कुमार	1083.00	1000.00	2083.00
9.	थ्पंकी	1083.00	1000.00	2083.00
10.	निकांत	1083.00	1000.00	2083.00
11.	हितेश	1083.00	1000.00	2083.00
योग :–				**22913.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि प्रमुख वन संरक्षक के जुलाई 2010 के आदेशानुसार संविदा कार्मिकों के ई0पी0एफ0/ई0एस0आई का भुगतान/वहन किया गया। ई0पी0एफ0/ई0एस0आई की प्रतिशतता गणना के सम्बन्ध में बताया कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा–निर्देश न होने के कारण फर्म द्वारा प्रस्तुत दर–सूची के आधार पर भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रमुख वन संरक्षक के जुलाई 2010 के आदेश में यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि कार्मिकों के अंश का भी भुगतान वन विभाग करेगा। आदेश में ई0पी0एफ0/ई0एस0आई, बोनस, सेवा शुल्क इत्यादि का उल्लेख किया गया है, जिसमें नियोजक/प्रयोक्ता को नियमानुसार इन शुल्कों के अंश का भुगतान/ वहन करना था, न कि कार्मिक के अंश का भी भुगतान किया जाना था।

अतः कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के भुगतान में कार्मिक के अंश का भुगतान किए जाने पर एजेन्सी को रु0 26.02 लाख का अधिक भुगतान/अदेय लाभ का प्रकरण **उच्चाधिकारियों** के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व से सम्बन्धित

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 कार्य योजना के अभाव में लक्षित राजस्व में ₹ 7.01 करोड की कमी।

वन विभाग द्वारा प्रत्येक वन प्रभाग के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए कार्य योजना बनाई जाती है जो कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। वनों का प्रबंधन कार्य योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है जिनमें वनों के प्रबंधन एवं वनवर्धनिक कार्यों के लिए विस्तृत योजनाएँ सम्मिलित रहती हैं। अनुमोदित कार्ययोजनाओं के अभाव में कोई भी वनवर्धनिक संक्रिया अथवा व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2014 के प्रस्तर 31 के अनुसार एक कार्य योजना तैयार करने में लगभग दो वर्ष का समय लगता है। 2014 की संहिता के प्रस्तर 60 के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से क्षेत्रीय अपर प्रमुख वन संरक्षक को तीन माह के अंदर कार्य योजना को अनुमोदित करना होता है। आदर्श रूप से किसी कार्य योजना को संचालित हो रही कार्य योजना समाप्त होने से पहले ही तैयार एवं अनुमोदित करवा लिया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि इकाई की कार्ययोजना वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक के लिए अनुमोदित थी जो दिनांक 30 सितम्बर 2019 को समाप्त हो गयी थी। इकाई को प्राप्त राजस्व लक्ष्य के अवलोकन में पाया गया कि कार्ययोजना के अभाव में घास एव गौड़ सरकारी अभिकरण एवं वन निगम के माध्यम से लकड़ी पर अन्य व उत्पाद की बिक्री से प्राप्तियाँ में निर्धारित राजस्व लक्ष्य के विपरीत ₹ 7.01 करोड़ का राजस्व कम प्राप्त हुआ। विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	**मद का नाम**	**राजस्व लक्ष्य**	**प्राप्ति**	**कमी**
1-	घास एव गौड़ सरकारी अभिकरण द्वारा	395000	00	395000
2-	वन निगम के माध्यम से लकड़ी पर अन्य व उत्पाद की बिक्री से प्राप्तियाँ	180000000	110275580	69724420
			योग	**70119420**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि कार्य योजना स्वीकृत न होने के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

अतः कार्ययोजना के अभाव में लक्षित राजस्व में ₹ 7.01 करोड की कमी का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व के सम्बन्धित

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 खनन से प्राप्त लाभांश रु0 77.28 लाख का अंश प्राप्त न किया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा खनन सत्र 2018-19 सौंग-1, 2, 3, जाखन 1 एवं 2 नदियो से 11040114.66 कुंतल खनन किया, जिसमें से लाभांश की धनराशि रु. 0.70 प्रति कुंतल की दर से रु. 77.28 लाख की धनराशि प्रभाग में जमा नहीं की गयी। विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र0 सं0	खनन सत्र 2018-19 के लिए जारी कार्यादेश के अनुसार लक्ष्य (घन मीटर मे)	खनन सत्र (अक्तूबर 2018 से मई 2019) खनन की वास्तविक मात्रा (घन मीटर मे)	खनन सत्र 2018-19 मे खनन की वास्तविक मात्रा (कुंतल मे)	लाभांश की दर (प्रति कुंतल)	लाभांश की राशि (4 x 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
योग	1149299.90	501823.39	11040114.66	0.70	7728080.26

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया वल्कि वर्ष 2015–16 की दरें संलग्न की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनवरी 2019 के आदेशानुसार वन निगम को रु0 0.70 प्रति कुन्तल की दर से रु0 77.28 लाख वन विभाग में जमा किया जाना चाहिए था, जो कि लेखापरीक्षा तिथि तक जमा नहीं किया गया।

अतः खनन से प्राप्त लाभांश रु0 77.28 लाख का अंश प्राप्त न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय के सम्बन्धित

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता में कमी के कारण रु0 8.06 लाख का निष्फल व्यय।

देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत 50481.98 है0 आरक्षित एवं अनारक्षित वन क्षेत्र है। प्रभाग में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में 9,83,320 पौधे रोपित किए गये, जिसमें नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत 1,75,000 पौधे रोपित कर रु0 112.60 लाख व्यय किया गया। शासनादेश संख्या 98/14–प0भ0वि0/94 दिनॉक 07 जनवरी 1994 में वृक्षारोपण की सफलता निर्धारित करने के लिए जलवायु की दृष्टि से न्यूनतम मानक तय किए गये हैं, जिसके अनुसार समस्त योजनाओं में रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता 95 तथा कैम्पा के अन्तर्गत रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता 48 होनी चाहिए।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के वृक्षारोपण से सम्बन्धित अनुश्रवण, मूल्यांकन के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में ऋषिकेश, थानों एवं लच्छीवाला वन श्रेत्रों में वृक्षारोपण का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन में उक्त वन क्षेत्रों में वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में रोपित पौधों की जीवितता प्रतिशत में शासन द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में काफी कमी पाई गयी। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में तीन वन श्रेत्रों में 50 है0 भूमि में कुल रोपित 50,000 पौधों के सापेक्ष मात्र 37,136 पौधे ही मौके पर जीवित पाए गए, जो वृक्षारोपण हेतु निर्धारित औसत मानक 95 प्रतिशत के सापेक्ष जीवित पौधों की सफलता का औसत प्रतिशत औसतन 74 था, जो कि निर्धारित मानक की तुलना में कम था। अवशेष रोपित पौधों की वास्तविकता के सम्बन्ध में मूल्यांकन में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि रोपित पौधे मौके पर सूखे/मृत पाए गये कि नहीं। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में अन्य योजनाओं के अन्तर्गत किए गये वृक्षारोपण के मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं था, जिससे उक्त वर्षों में रोपित पौधों में से जीवित पौधों की संख्या का विश्लेषण नहीं किया जा सका। मूल्यांकन किए गये वन श्रेत्रों में रोपित एवं जीवित पौधों का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	वन श्रेत्र का नाम	रोपित क्षेत्र (है0)	रोपित पौधों की संख्या	मानक के अनुसार जीवित पौधे	मूल्यांकन के अनुसार जीवित पौधे	अन्तर	सफलता प्रतिशत
2018–19	ऋषिकेश	10.00	10000	9500	5563	3937	55.63
	लच्छीवाला	10.00	10000	9500	6610	2890	66.10
2019–20	लच्छीवाला	5.00	5000	4750	3725	1025	74.50
	ऋषिकेश	15.00	15000	14250	12690	1560	84.60
	थानौं	10.00	10000	9500	8548	952	85.48
योगः–		**50.00**	**50000**	**47500**	**37136**	**10364**	**74.00**

इस प्रकार, उपरोक्त वर्षों में नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत रोपित पौधों में मानक के अनुसार 10,364 पौधे जीवित न होने के कारण रु0 77766 प्रति हैक्टेअर की दर से उन पर किया गया अग्रिम मृदा एवं वृक्षारोपण से रु0 8.06 लाख[1] का व्यय निष्फल हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने उत्तर में बताया कि क्षेत्रों में वन्य जीवों की अत्यधिक आवाजाही होने के कारण सफलता प्रतिशत में कमी आई है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में मृत पौधों के स्थान पर नई पौधों का रोपण एवं बीज बुआन कार्य करके मानकों के अनुरुप सफलता प्राप्त कर ली गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि इन क्षेत्रों में वन्य जीवों की अत्यधिक आवाजाही के कारण पौध नष्ट हो गई थी तो पुनः उन्हीं क्षेत्रों में नई पौधों का रोपण किया जाना न केवल निरर्थक होगा वल्कि **सफलता** प्रतिशतता में वृद्धि भी नहीं होगी।

अतः रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता में कमी के कारण रु0 8.06 लाख का निष्फल व्यय का प्रकरण **उच्चाधिकारियों के** संज्ञान में लाया जाता है।

[1] रु0 805966.82 = रु0 77766 प्रति है0 1000 पौध अर्थात अजीवित 10364 पौधों पर 10.364 है0 x रु0 77766।

व्यय के सम्बन्धित

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–5 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत रु0 33.00 लाख का अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्रस्तर 40 के अनुसार किसी नये कार्य, मरम्मत, अनुरक्षण आदि का कार्य तभी प्रारम्भ किया जाए अथवा इससे सम्बन्धित दायित्व लिया जाए जब (i) सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो गया हो, (ii) बजट की उपलब्धता हो एवं सक्षम प्राधिकारी से व्यय करने की संस्वीकृति उपलब्ध हो तथा (iii) वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा धनराशि उपलब्ध करा दी गई हो।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के वनीकरण से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में रिस्पना नदी के किनारे रु0 33.00 लाख के वानिकी के अन्तर्गत रोपित 10,320 पौधे एवं जल संरक्षण के अन्तर्गत 02 जलकुण्डों का निर्माण कार्य वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति एवं धनराशि आबंटन के बिना किए गये। प्रभाग के वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्य योजना में न तो इन कार्यमदों हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए गये थे एवं न ही धनराशि आबंटित की गई थी। इसके बावजूद विना स्वीकृत योजना/धनराशि के रु0 33.00 लाख के कार्य किया जाना उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का सीधा उल्लंघन था। प्रभाग द्वारा उच्चाधिकारियों से उक्त व्यय हेतु नमामि गंगे परियोजना से धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिसे मुख्य वन संरक्षक परियोजना निदेशक नमामि गंगे **ने उपने पत्र दिनांक 20 जनवरी 2020** द्वारा इस आपत्ति के साथ अस्वीकार किया गया था कि सम्बन्धित कार्य हेतु प्रभाग द्वारा कोई पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा तिथि अर्थात अगस्त 2020 तक रिस्पना नदी के किनारे किए गये वानिकी एवं जल संरक्षण पर किए गये व्यय की न तो स्वीकृति प्राप्त हुई थी एवं न ही धनराशि आबंटित हुई थी।

इस प्रकार, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत रिस्पना नदी के किनारे रोपित 10,320 पौधे एवं 02 जलकुण्डों का निर्माण पर किया गया व्यय रु0 33.00 लाख अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने उत्तर में बताया कि मा0 मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी परियोजना होने के कारण उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार वानिकी एवं जल संरक्षण के कार्य सम्पन्न कराए गये। उक्त कार्यमद के लिए धनराशि स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, प्रकरण शासन स्तर पर गतिमान है। बजट प्राप्त न होने के कारण अभी रु0 33.00 लाख की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है

क्योंकि व्यय किए जाने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन किया जाना चाहिए था, जो कि सम्बन्धित प्रकरण में नहीं किया गया।

अतः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत रु0 33.00 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण **उच्चाधिकारियों के** संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय के सम्बन्धित

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–6 निर्माण कार्यों पर रु0 3.21 करोड का अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017के बिन्दु (1) 40के अनुसार कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो। उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक/245 :xxvii(7)/2012 दिनांक 22.11.2012 :के अनुसार वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के निष्पादन हेतु उप वन संरक्षक /प्रभागीय वनाधिकारी को ₹ 5.00 लाख की सीमा तक स्वीकृति का अधिकार प्रदत्त किया गया है। ₹ 5.00लाख से ₹ 10.00 लाख की सीमा तक के कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए वन संरक्षक/निदेशक को अधिकार प्रदत्त किया गया है। निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रभागीय वनाधिकारी को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान स्वीकृति पंजिका (E- 09) की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में ₹ 3.21 करोड़ **(सूची संलग्न)** लागत के कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के पूर्ण कराये गए तथा संप्रेक्षा तथि (अगस्त 2020) तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने उत्तर में बताया कि सभी वित्तीय स्वीकृतियॉ सक्षम अधिकारी को समय से वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गये थे। 23 मार्च 2020 को कोराना संक्रमण के कारण सम्पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण समस्त राजकीय कार्यालय बन्द होने से वित्तीय स्वीकृतियॉ प्राप्त नहीं हो पाई, जिन्हें प्राप्त करने की कार्रवाई गतिमान है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कार्यों को किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी।

अतः निर्माण कार्यों पर रु0 3.21 करोड का अनियमित व्यय का प्रकरण **उच्चाधिकारियों के** संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धनराशि
1	यूनिट भवन के अंतर्गत वन संरक्षक शिवालिक वृत्त के कार्यालय कक्ष का जीर्णोद्वार कार्य (भाग प्रथम)	494000.00
2	यूनिट भवन के अंतर्गत वन संरक्षक शिवालिक वृत्त के कार्यालय कक्ष का जीर्णोद्वार कार्य (भाग द्वितीय)	363000.00
3	यूनिट भवन के अंतर्गत सिवर लाईन जीर्णोद्वार कार्य	116000.00
4	यूनिट भवन के अन्तर्गत न्यू फॉरेस्ट कालोनी, इन्दिरानगर देहरादून स्थित प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के राजकीय आवास सं0 1 में विभिन्न मरम्मत कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	139000.00
5	यूनिट भवन के अन्तर्गत वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड दे0दून के कार्यालय में विभिन्न कक्षों का निर्माण/जीर्णोद्वार कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति (भाग द्वितीय)	500000.00
6	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 55/2019 के अनुसार थानों रेंज के अन्तर्गत नौगांव चक में ईको पार्क निर्माण कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	486000.00
7	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 52/2019 के अनुसार लच्छीवाला रेजं के अन्तर्गत नेचर पार्क लच्छीवाला के देवपुरा नहर मे झील का निर्माण कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	500000.00
8	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 52/2019 के अनुसार लच्छीवाला रेंज के अन्तर्गत थानों गेट से लच्छीवाला नेचर पार्क हरिद्वार रोड से लच्छीवाला नेचर पार्क तक मार्ग का जीर्णोद्वार कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	500000.00
9	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 55/2019 के अनुसार थानों रेंज के अन्तर्गत नौगांव चक में ईको पार्क निर्माण कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति (जांब सं0 1)	452000.00
10	थानों रेंज के अन्तर्गत उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति (जांब सं0 02)	498000.00
11	ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत वन बीट अधिकारी पश्चिमि बीट आवास की मरम्मत एवं रंगाई–पुताई कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	150000.00
12	यूनिट भवन के अन्तर्गत अंसारी मार्ग स्थित वन विश्राम भवन के भूतल, प्रथम तल पर स्थित विभिन्न कक्षों की रंगाई–पुताई का कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	470000.00
13	यूनिट भवन के अन्तर्गत अंसारी मार्ग स्थित उक्त विश्राम भवन में विशेष मरम्मत कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	256000.00
14	यूनिट भवन के अन्तर्गत न्यू फॉरेस्ट कालोनी, इन्दिरानगर के क्षतिग्रस्त वन मोटर मार्ग की मरम्मत कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	252700.00
15	यूनिट भवन के अन्तर्गत ओल्ड फॉरेस्ट कालोनी इन्दिरानगर के क्षतिग्रस्त वन मोटर मार्ग की मरम्मत कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	258000.00
16	थानों रेंज के अन्तर्गत जौली 2 बीट में उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	75000.00
17	थानों रेंज के अन्तर्गत रामनगर–17, रामनगर–16, जौली में सोलर फेंसिग कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	600000.00
18	लच्छीवाला रेंज के अन्तर्गत नवादा क0सं0 14 (दौडवाला ग्राम मे उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति)	600000.00
19	आसारोडी रेंज के अन्तर्गत कडवापानी केन्द्रीय बीट के कडवापानी क0 सं0 4ए के 10 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	849760.00
20	आसारोडी रेंज के अन्तर्गत कडवापानी केन्द्रीय बीट के कडवापानी क0 सं0 7 के 10 है0 क्षेत्र में उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	849760.00
21	आसारोडी रेंज के अन्तर्गत चन्द्रबनी बीट के चन्द्रबनी क0सं0 2 के 10 है0 क्षेत्र में उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	844760.00
22	थानों रेंज के अन्तर्गत मालकोट 09 के 10 है0 क्षेत्र में हेत अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	768600.00
23	थानों रेंज के अन्तर्गत भोगपुर–06 के 10 है0 क्षेत्र में उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	859000.00
24	थानों रेंज के अन्तर्गत प्लेड 07 के 10 है0 क्षेत्र में उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	796400.00
25	थानों रेंज के अन्तर्गत प्लेड 02 के 10 है0 क्षेत्र में उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	823500.00

26	लच्छीवाला रेंज के अन्तर्गत कैमपिंग ग्राउण्ड बुल्लावाला जरे इन्तजाम महकमा जंगलात की भूमि अतिक्रमण भूमि का तारबाड कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	856718.00
27	बड़कोट रेंज के अन्तर्गत गोला 8 के 10 है0 क्षेत्र में अग्रीम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	881000.00
28	बड़कोट रेंज के अन्तर्गत जाखन 1 के 10 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	938000.00
29	बडकोट रेंज के अन्तर्गत घमण्डपुर 4सी के 10 है0 क्षेत्र मे उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	1597000.00
30	ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत बीबीवाला क0सं0 5 के 12 है0 क्षेत्र में उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	1000000.00
31	यूनिट भवन के अन्तर्गत अंसारी मार्ग स्थित वन विश्राम भवन की मरम्मत/जीर्णोद्वार की वित्तीय स्वीकृति	718000.00
32	लच्छीवाला रेंज के अन्तर्गत वनवाह क0सं0 1 के 20 है0 क्षेत्र मे अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	1546000.00
33	मल्हान रेंज के अन्तर्गत कालूवाला 2ए, कालूवाला 2बी में 400 के0वी0 लाईन में बाधक वृक्षों के पातन के **सापेक्ष** 12.25 है0 भूमि पर बोनी प्रजाति हेतु अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	1062600.00
34	मल्हान रेंज के अन्तर्गत कालूवाला 7ए कालूवाला 11 बी, उक्त वृक्षों के पातन के **सापेक्ष** 9.90 है0 भूमि पर उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	862000.00
35	मल्हान रेंज के अन्तर्गत कालूवाला 11ए कालूवाला 6, मल्हान 4 बी मे उक्त वृक्षों के पातन के **सापेक्ष** 8.36 है0 भूमि पर उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	746900.00
36	ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत बीबीवाला क0सं0 1 के 11 है0 प्रथम भाग में विद्युत विभाग को हस्तांतरित वन भूमि के **सापेक्ष** बोनी प्रजाति के वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	962000.00
37	ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत बीबीवाला क0सं0 1 बी के 10 है0 क्षेत्र/द्वितीय भाग में उक्त वन भूमि के **सापेक्ष** उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	879000.00
38	ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत बीबीवाला क0सं0 3 बी के 7 है0 क्षेत्र में उक्त वन भूमि के **सापेक्ष** उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	613000.00
39	मल्हान रेंज के अन्तर्गत कालूवाला प्रथम बीट के क0सं0 कारबारी 1ए के 10 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	858700.00
40	यूनिट भवन के अन्तर्गत मलिक चौक इन्दिरानगर स्थित राजकीय आवास सं0 1/ट में विभिन्न मरम्मत कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	650000.00
41	ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत बीबीवाला क0सं0 7 बी के 10 है0 क्षेत्र में क्षति0 वक्षा0 हेतु अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	806000.00
42	झाझरा रेंज के अन्तर्गत कण्डोली क0सं0 10 में तरली कण्डोली से गुरूद्वारा तक मोटर मार्ग के एवज में गेप फिलिंग वृक्षा0 अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	830000.00
43	मल्हान रेंज के अन्तर्गत कालूवाला प्रथम बीट के कारबारी क0सं0 1ए भाग–2 के 10 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	796200.00
44	थानों रेंज के अन्तर्गत पत्थरखाल क0सं0 2 के 10 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	755200.00
45	आसारोडी रेंज के अन्तर्गत लालढांग 11 ए के 10 है0 मे अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति	697000.00
46	आसारोडी रेंज के अन्तर्गत लालढांग 11बी के 12 है0 क्षेत्र में उक्त कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	820000.00
47	आसारोडी रेंज के अन्तर्गत कडवापानी क0सं0 6ए के 10 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति।	694500.00
	योग–	**32071298.00**

भाग 2(ब)

प्रस्तर- 7 : प्रभाग की उदासीनता के कारण NPS की धनराशि ₹ 15.92 लाख के नियोक्ता अंशदान से वंचित रहना ।

उत्तराखंड सरकार के आदेश अक्टूबर 2005 के द्वारा जिन अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति सितम्बर 2005 के बाद हुयी है, उनके वेतन से (वेतन+ग्रेड पे+ डी ए) का 10 प्रतिशत की दर से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि के अगले माह से अनिवर्य रूप से की जानी चाहिये। योजना के प्रावधान के अनुसार काटी गई अंशदान के बराबर धनराशि नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय के 04/2019 से 03/2020 तक के NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) संबन्धित लेखाभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि 122 अधिकारियों/कर्मचारियों के NPS से संबन्धित मासिक अंशदान की कटौती 01 माह से लेकर 36 माह तक विलंब से की गयी। जिसके कारण अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त अवधि के लिए ₹ 15,92,762/- नियोक्ता अंशदान से वंचित रहना पडा।

उपर्युक्त को इंगित करने पर प्रभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि PRAN(Permanent Retirement Account Number) नम्बर विलम्ब से मिलने के कारण विलम्ब से अंशदान की कटौती की गई । प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है प्रभाग द्वारा कार्मिको के अंशदान की धनराशि को सस्पेन्स हैड मे रखा जाना चाहिये था। PRAN प्राप्त होते ही धनराशि को कार्मिको के खाते मे ट्रांसफर कर देना चाहिये था। जिससे नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला अंशदान प्राप्त हो सके।

अत: प्रभाग की उदासीनता के कारण 122 कार्मिको का 1 माह से 36 माह विलम्ब से अंशदान की कटौती होने के कारण ₹ 15.92 लाख का नियोक्ता द्वारा मिलने वाला अंशदान की राशि से वंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
04 / 2004–05	1	–
06 / 2005–06	2	–
04 / 2006–07	1	4
08 / 2009–10	1	1
08 / 2011–12	–	1
02 / 2012–13	–	4
06 / 2015–16	3	8
75 / 2017–18	–	1, 2, 3 एवं 4 स्टैन–1
65 / 2018–19	–	1 एवं 2
39 / 2019–20	–	1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
04 / 2004–05	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	इकाई द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।	प्रतिउत्तर के अभाव में यथावत् रहेगा।	
06 / 2005–06	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
04 / 2006–07	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	– तदैव –	– तदैव –	
08 / 2009–10	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
08 / 2011–12	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
02 / 2012–13	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	– तदैव –	– तदैव –	
06 / 2015–16	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–3	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–8	– तदैव –	– तदैव –	
75 / 2017–18	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	– तदैव –	– तदैव –	
	स्टैन–1	– तदैव –	– तदैव –	
65 / 2018–19	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
39 / 2019–20	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–5	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–6	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–7	– तदैव –	– तदैव –	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से सम्बन्धित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य

1. प्राप्त राजस्व को समय पर शासकीय खाते में जमा किया जा रहा था।
2. अभिलेखों का उचित ढंग से रख–रखाव किया गया था।

(2) व्यय से सम्बन्धित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य

1. अभिलेखों का रख–रखाव सही ढंग से किया गया था।

भाग–V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   1. राजस्वः शून्य
   2. व्यय : शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री राजीव धीमान	दिनॉक 20.11.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार ए0एम0जी0–IV (राजस्व) को प्रेषित कर दी जाए।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV